न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
22/8/24	दीपकुमार / सरकार पत्रावली पेश / वकील सरकार उपस्थित पार्टी वकील कि एक पत्रीय बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते सुनाए जाने आदेश बाबत दि० 29/8/24 को पेश हो।
29/8/24	पत्रावली पेश / वकील सरकार उपस्थित पार्टी के अधि० पत्रा के निवेदन किया गया है कि विवादित आराजी ख०नं० 939 रकबा 0.3667 है० वाके गांव सुतवपुर तह० कोटकासिम कि पैमाईश दिनांक 21/10/22 को राजस्व कर्मचारियों द्वारा करवाई जा चुकी थी तदानुसार पैमाईश विवादित आराजी कि पत्थरगढ़ी कि जावे। पार्टी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजि० किया जाकर अपार्टी को जरिये RAD के तामिल करवाई गई अपार्टी के उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया कि विवादित आराजी पाडीगन कि खातेदारी भूमि है विवादित आराजी कि पैमाईश राजस्व टीम द्वारा दिनांक 21/10/22 को की जा चुकी थी पार्टी वकील कि बहस सुनी गई पार्टी वकील द्वारा निवेदन किया गया कि विवादित आराजी कि पैमाईश दिनांक 21/10/22 के मुताबिक पत्थरगढ़ी कि जावे। पार्टी वकील [illegible] व पत्रावली का अवलोकन करते [illegible] पाया कि विवादित आराजी [illegible] कि जा चुकी है व पार्टी ही विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार है ऐसी स्थिति में पार्टी का प्रार्थना पत्र यह न्यायालय स्वीकार P.T.O

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Yadav
Date: 2024.09.11 11:44:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (खैरथल-तिजारा) राज०